सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6177/MH/637/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 23.04.2026**

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-पालघर,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.palghar@maharashtra.gov.in

विषय: श्री सदानंद शांताराम बरफ व अन्य, म.न. 505 विरार गार्डन रोड, बोलीज दिवलईपाडा, विरार (प.), तहसील वसई, जिला पालघर (महाराष्ट्र) - जिला पालघर, तहसील वसई, ग्राम सातीवली 60/1 प्लॉट नं. 12 की भूमि पर गैर आदिवासियों द्वार किए गए अवैध निर्माण को तोडकर आवेदकों की भूमि उन्हे वापस किए जाने के संबंध में प्राप्त दिनांक 16.09.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 23.02.2026** को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री सदानंद शांताराम बरफ,
म.न. 505 विरार गार्डन रोड, बोलीज दिवलईपाडा,
विरार (प.), तहसील वसई, जिला पालघर (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-6177/MH/637/2025-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

गैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा जनजातीय व्यक्ति की भूमि पर कथित अवैध निर्माण एवं भूमि जब्ती के संबंध में श्री सदानंद शांताराम बरफ व अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के विषय में दिनांक 23.02.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 23.02.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री सदानंद शांताराम बरफ व अन्य, म.न. 505, विरार गार्डन रोड, बोलीज दिवलईपाडा, विरार (प.), तहसील वसई, जिला पालघर (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में अवगत कराया गया है कि गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा वसई के सातीवली क्षेत्र में आवेदकों की कृषि भूमि पर जबरन अनधिकृत निर्माण किया गया है।

आवेदकों के अनुसार प्रशासन द्वारा दिनांक 08.10.2012 की शर्तों के उल्लंघन के कारण उक्त भूमि को जब्त कर लिया गया, परंतु भूमि पर किया गया अनधिकृत निर्माण यथावत बना हुआ है। भू-माफियाओं द्वारा किए गए अवैध निर्माण के कारण आवेदकों की भूमि प्रशासन द्वारा जब्त कर ली गई, जिससे वे भूमिहीन हो गए हैं।

आवेदकों ने आयोग से अनुरोध किया है कि उक्त भूमि पर किए गए अनधिकृत निर्माण को हटाकर भूमि पुनः आवेदकों को वापस दिलाई जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 16.11.2025 को जिला कलेक्टर, पालघर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। तथापि आज दिनांक तक जिला कलेक्टर, पालघर से आयोग को कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

5. दिनांक 23.02.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर, पालघर महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री शेखर घाडगे, उप-मंडल अधिकारी, वसई तथा याचिकाकर्ता श्री सदानंद शांताराम बरफ उपस्थित रहे।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुनवाई के दौरान दिनांक 19.02.2026 को जिला कलेक्टर, पालघर महाराष्ट्र कार्यालय से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि मौजे वालीव/सातीवली, तहसील वसई स्थित सर्वे नं. 60/1 (प्लॉट नं. 12), क्षेत्र 0.82 हेक्टर भूमि श्री सदानंद शांताराम बरफ एवं अन्य के नाम 7/12 अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि नवीन अविभाज्य शर्तों के अंतर्गत कृषि प्रयोजन हेतु प्रदान की गई थी। तलाठी, सजा वालीव द्वारा दिनांक 19.04.2012 को प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि संबंधित भूमि पर किसी प्रकार की कृषि गतिविधि या फसल की खेती नहीं की जा रही है, बल्कि भूमि पर कच्चे स्वरूप के निर्माण कार्य किए गए हैं।

इस प्रकार यह पाया गया कि भूमि का उपयोग निर्धारित कृषि उद्देश्य के विपरीत किया गया है, जिससे प्रदान की गई शर्तों का उल्लंघन (शर्तभंग) हुआ है। अतः नियमानुसार की गई कार्यवाही के उपरांत उक्त भूमि को महाराष्ट्र शासन के अधीन (सरकारी भूमि) दर्ज कर लिया गया है।

7. दिनांक 23.02.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. जिला कलेक्टर, पालघर को अनुशंसा किया जाता है कि संबंधित प्रकरण में नवीन शर्तों के उल्लंघन (शर्तभंग) के आधार पर की गई संपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित पूर्ण अभिलेख (Complete File), जिसमें आदेश, पंचनामा, तलाठी रिपोर्ट, नोटशीट, सीमांकन विवरण, तथा भूमि को महाराष्ट्र शासन के अधीन दर्ज करने से संबंधित समस्त दस्तावेज सम्मिलित हों, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि आयोग को प्रस्तुत की जाए।

2. यह भी अनुशंसा किया जाता है कि संबंधित भूमि की स्थल पर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराई जाए तथा वसई-विरार महानगरपालिका / औद्योगिक नगर निगम (Industrial/Municipal Corporation) के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त भूमि पर वर्तमान में किस प्रकार का निर्माण अथवा उपयोग, कब से किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन (Status Report) आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रकरण की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने तथा तथ्यों की पुष्टि हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक जांच दल स्थल का दौरा करे, जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति, निर्माण की प्रकृति तथा प्रशासनिक कार्यवाही का सत्यापन किया जा सके।

4. आयुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका (Vasai Virar Mahanagar Palika) को भी प्रकरण की अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, जिससे भूमि पर किए गए निर्माण, स्वीकृतियों की स्थिति तथा नगर निगम की भूमिका से संबंधित पूर्ण तथ्यों से आयोग को अवगत कराया जा सके।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-6177/MH/637/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 23.02.2026

विषय: श्री सदानंद शांताराम वरफ व अन्य, म.न. 505 विरार गार्डन रोड, बोलीज दिवलईपाडा, विरार (प.), तहसील वसई, जिला पालघर (महाराष्ट्र) - जिला पालघर, तहसील वसई, ग्राम सातीवली 60/1 प्लॉट नं. 12 की भूमि पर गैर आदिवासियों द्वार किए गए अवैध निर्माण को तोडकर आवेदकों की भूमि उन्हे वापस किए जाने के संबंध में प्राप्त दिनांक 16.09.2025 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 23.02.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, पालघर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	शेखर वाडळे	उ.वि.अ. वसई	8879686222	[illegible]
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	स्वप्नील सदानंद वरफ		9096813819	[illegible]
2.				
3.				